

KHAN GLOBAL STUDIES

Kumar Tower 2nd Floor Boring Road Crossing Patna-01 Mob: 06124012499,887718018,855735880

Economics

By. Dr. Bharat Sir

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए)

 बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए सभी ऋण उनके लिए संपत्ति हैं। यदि ग्राहक बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो वे "गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां" हैं।

मानक / प्रदर्शन करने वाली संपत्तियां

- एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं है।
- उधरकर्ता ऋण राशि का भुगतान नियमितता से करता है।
 गैर-मानक/तनावग्रस्त आस्तियां
- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां = छोटा उल्लेख खाता + गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां + पुनर्रचित संपत्तियां + लिखित संपत्तियां

1. विशेष उल्लेख खाता

प्रारंभ में जब ग्राहक ने देय तिथि पर ऋण राशि का भुगतान नहीं किया तो बैंक ने एसएमए में बकाया राशि का उल्लेख करना शुरू कर दिया।

यह 3 प्रकार का होता है-

- (i) SMA-0- मूलधन या ऋण या ब्याज राशि 0 से 30 दिन
- (ii) SMA-1- मुलधन या ब्याज राशि 31 सें 60 दिन।
- (ii) SMA-2- मूलधन या ब्याज राशि 61-90 दिन।

2. गैर-निष्पादित आस्तियां

यदि ग्राहक 90 दिनों/तक ब्याज या मूलधन या दोनों का भुगतान नहीं करता है तो इसे एनपीए माना जाता है।

3. पुनरीचित आस्तियां /ऋण

जब बैंक द्वारा बकाया ऋण का पुनर्गठन किया गया हो अर्थात पुनर्भुगतान की समयाविध निर्धरित, करके, ब्याज दर कम करके, आदि।

4. बट्टे खाते में डाली गई संपत्तियां

संपत्ति या ऋण जिन्हें देय के रूप में नहीं गिना जाता है क्योंकि उन्हें अन्य तरीकों से से मुआवजा दिया जाता है। नोट: लिखित आस्तियों की मणना ऋण की छूट के रूप में नहीं की जाती है।

- सामरिक ऋण पुनर्गठनः जब बैंक ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करता हैं।
- स्ट्रेस्ड एसेट्स (54A) की सस्टेनेबल, स्ट्रक्चिरंग के लिए
 योजना: डिफॉल्ट राशि रु. 500 करोड और अधिक।
- ऋण राशि स्थायी या गैर स्थायी
- गैर-स्थायी राशि में इिक्वटी में परिवर्तित करें।

भारतीय बैंकों की एनपीए समस्या

- भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता जैसी विभिन्न पहलों के कारण वित्त वर्ष 2018 से एनपीए में गिरावट की प्रवृत्ति थी।
- कोरोना वायरस "COVID-19" महामारी और लॉकडाउन के प्रभावों के कारण, देश में फंसे हुए ऋणों में वृद्धि देखने की उम्मीद थी।

भारत में एनपीए को रोकने के उपाय

1. ऋण वसुली न्यायाधिकरण (डीआरटी)

- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआस्टी) 1993 में स्थापित किए गए थे।
- मामलों को निपटाने में लगने वाले समय को कम करना। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की आवश्यकताएं उन पर लागू होती हैं। हालांकि, चूंकि उनकी संख्या अपर्याप्त है, इसलिए उन्हें समय अंतराल का सामना करना पड़ता है, कई स्थानों पर मामले दो साल से अधिक समय से लंबित हैं।

2. क्रेडिट सुचना ब्युरो (सीआईबी)

- वर्ष 2000 में, क्रेडिट सूचना ब्यूरो (CIB) की स्थापना की गई थी।
- ऋण गलत हाथों में जाने से बचने के लिए और, परिणामस्वरूप, एनपीए, एक अच्छी सूचना प्रणाली आवश्यक है। व्यक्तिगत डिफॉल्टर्स और बिलकुल डिफॉल्टर्स को ट्रैक और साझा किया जाता है, जिससे बैंकों को सहायता मिलती है।

3. लो<u>क अदालत - 2001</u>

वे छोटे ऋणों से निपटने और उनकी वसूली में उपयोगी होते हैं, लेकिन 2001 में स्थापित आरबीआई के दिशानिर्देश उन्हें 5 लाख रुपये तक के ऋण तक सीमित कर देते हैं। वे इस मायने में फायदेमंद हैं कि वे अधिक मामलों को कानूनी प्रणाली में प्रवेश करने से रोकते हैं।

4. बिलकुल डिफॉल्टर

- किसी भी संस्था को इरादतन चूककर्ता माना जाता है जब:
- ऐसा करने के लिए वित्तीय साधन होने के बावजूद, इकाई ऋणदाता को अपनी भुगतान/चुकौती प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किल रही है।
- > इकाई ऋणदाता को अपनी भुगतान/चुकौती प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किल रही है और
- ऋणदाता के धन का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं किया है, जिसके लिए उन्हें धन को अन्य उपयोगों में बदलने के बजाय प्राप्त किया गया था।
- इकाई ऋणदाता को अपनी भुगतान/पुनर्भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किल रही है और निधियों को इस तरह से निकाल दिया है, कि निधियों का उपयोग उस सटीक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए क्रेडिट प्राप्त किया गया था, और नहीं अन्य के रूप में धन उपलब्ध है इकाई के साथ संपत्ति।
- बैंकों को 25 लाख से अधिक के बकाया ऋण के साथ बिलकुल डिफॉल्टरों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को प्रस्तुत करने होंगे।

5. सरफेसी अधिनियम क्या है?

 2002 का सरफेसी अधिनियम वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हितों के प्रवर्तन को विनियमित करने

- और संपत्ति के अधिकारों पर बनाए गए सुरक्षा हितों के केंद्रीय डेटाबेस के लिए और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम है।
- SARFAESI वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए एक संक्षिप्त शब्द है।
- यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को चूककर्ता की आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी करके ऋण वसूल करने की अनुमित देता है।
- इस अधिनियम के तहत, भारत का पहला संपत्ति पुनर्निर्माण निगम (एआरसी), एआरसीआईएल, की स्थापना की गई थी।
- सुरिक्षत लेनदारों (बैंकों या वित्तीय संस्थानों) के पास सरफेसी अधिनियम, 2002 की धरा 13 के तहत सुरक्षा हित प्रवर्तन के अधिकार हैं।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, 2002 का सरफेसी अधिनियम अब सभी राज्य और बहु-राज्य सहकारी बैंकों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले की बदौलत बैंक अब अपने कर्ज की वसूली के लिए डिफॉल्टरों की संपत्तियों को जब्त और बेच सकते हैं।

सरफेसी अधिनियम - प्रावधन

- यदि वित्तीय सहायता का उधरकर्ता ऋण या किस्त पर चूक करता है, और उसके खाते को एक सुरक्षित लेनदार द्वारा गैर-निष्पादित पिरसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वगीकृत किया जाता है, तो सुरक्षित लेनदार सीमा की अविध समाप्त होने से पहले लिखित नोटिस का अनुरोध कर सकता है।
- असुरक्षित ऋण, रु. 100,000 से कम के ऋण, और ऐसे ऋण जो प्रारंभिक सिद्धांत के 20% से कम हैं, कानून से मुक्त हैं।
- इस कानून ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के गठन और बैंकों द्वारा एआरसी (जो आरबीआई द्वारा विनियमित हैं) को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की बिक्री की अनुमति दी।
- न्यायालय की सहमित के बिना, बैंक संपार्शिवक संपत्ति का स्वामित्व लेने और उसे बेचने के लिए अधिकृत हैं।
- निष्कर्ष निकालने के लिए, सरफेसी अधिनियम वित्तीय संस्थानों को ''जब्त करने और रोकने'' का अधिकार देता है। उन्हें 60 दिनों के भीतर भुगतान का अनुरोध करते हुए, अपराधी उधारकर्ता को एक अधिसूचना भेजनी चाहिए।
- अगर देनदार सहयोग नहीं करता है, तो बैंक निम्नलिखित तीन में से एक कार्रवाई कर सकता है:
 - 1. ऋण सुरक्षा पर नियंत्रण रखें।
 - 2. सुरक्षा के अधिकार को बेचना, पट्टे पर देना या सौंपना।
 - 3. संपत्ति की देखभाल करें या ऐसा करने के लिए किसी को नियुक्त करें।

सरफेसी अधिनियम - संशोधन

- केंद्र सरकार ने 2013 में एक कानून पारित किया जिसमें सहकारी बैंकों को 2002 के सरफेसी अधिनियम के तहत लाया गया।
- सुरक्षा हितों का प्रवर्तन और ऋणों की वसूली कानून और विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2016 ने एक बार फिर कानून को बदल दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 (सी) और 56 (ए) के अधीन हैं, जो कि सूची I प्रविष्टि 45 से संबंधित कानून हैं। (संघ सूची)

6. दिवाला और दिवालियापन संहिता क्या है?

- दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) भारत का दिवाला कानून है, जिसका उद्देश्य एकल दिवाला और दिवालियापन कानून की स्थापना करके मौजूदा ढांचे को एकीकृत करना है।
- दिवाला एक ऐसी स्थित है जिसमें एक देनदार अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है।
- दिवालियापन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक दिवालिया व्यक्ति या कंपनी शामिल होती है जो अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होती है।
- यह बैंकों जैसे लेनदारों को ऋणों की वसूली और खराब ऋणों से बचने में मदद करने के लिए स्पष्ट और तेज दिवाला प्रक्रियाओं की स्थापना करता है, जो अर्थव्यवस्था पर एक प्रमुख दबाव है।
- यह एक व्यापक दिवाला कोड है जो सभी व्यवसायों, साझेदारियों और व्यक्यों (वित्तीय फर्मों के अलावा) पर लागू होता है। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016
- कोड ने पिछले सभी कानूनों को निरस्त कर दिया और दिवाला और दिवालियापन के मामलों को हल करने के लिए एक मानकीकृत ढांचे की स्थापना की।
- यह लेनदारों को एक व्यावसायिक निर्णय के रूप में देनदार की व्यवहार्यता का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, लेनदार या तो इसके पुनरुत्थान की योजना के लिए सहमत हो सकते हैं या एक त्वरित परिसमापन का प्रस्ताव कर सकते हैं।
- संहिता एक नया कानूनी ढांचा स्थापित करती है। इस ढांचे ने एक दिवाला समाधान प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने और परिसमापन में सहायता की जो समयबद्ध थी। ढांचे में निम्नलिखित तत्व होते हैं:
- दिवाला पेशेवर: वे समाधान प्रक्रिया के प्रभारी होंगे। वे देनदार की संपत्ति को भी संभालते हैं और लेनदारों को निर्णय लेने में मदद करने के लिए जानकारी प्रदान करते हैं।
- दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां: दिवाला व्यवसायियों को दिवाला के लिए पेशेवर एजेंसियों के साथ पंजीकृत किया जाएगा। दिवाला विशेषज्ञों को प्रमाणित करने के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी और एजेंसियों द्वारा उनके प्रदर्शन के लिए व्यवहार संहिता लागू की जाएगी।
- सूचना उपयोगिताओं: वे लेनदारों के लिए बकाया ऋणों के साथ-साथ चुकौती और ऋण चूक का ट्रैक बनाए रखेंगे।
- न्यायनिर्णयन प्राधिकारी: वे समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की मंजूरी देंगे, दिवाला पेशेवर की नियुक्ति करेंगे, और लेनदारों के अंतिम निर्णय पर हस्ताक्षर करेंगे।
- नेशनल कंपनी लक्क ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) निगमों और सीमित देयताफर्मों के लिए निर्णायक प्राधिकरण है।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) द्वारा व्यक्यों और साझेदारी फर्मो के अपने ऋणों का न्यायनिर्णयन किया जाता है।
- दिवाला और दिवालियापन बोर्ड सींहता के तहत स्थापित दिवाला विशेषज्ञों, पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं की देखरेख करेगा।
- संहिता का लक्ष्य दिवालियेपनों का समय पर समाधन करना हैय मूल्यांकन और व्यवहार्यता निर्धारण 180 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- कंपनी 180 दिनों की मोहलत के अधीन है (जिसे 270 दिनों तक बढाया जा सकता है)। स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के

लिए समाधन की समय सीमा 90 दिन है, जिसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

7. बैड बैंक क्या है?

- बैड बैंक एक वित्तीय संस्थान है जिसे किसी अन्य वित्तीय संस्थान के अशोधय ऋण और अन्य चलिनिध संपित्तयों को खरीदने के लिए बनाया गया था।
- बड़ी संख्या में गैर-निष्पादित आस्तियों वाला संगठन उन्हें बाजार मूल्य पर बैड बैंक को बेच देगा।
- मूल संस्था ऐसी संपत्तियों को खराब बैंक में स्थानांतरित करके अपनी बैलेंस शीट को सक करने में सक्षम हो सकती है, हालांकि यह अभी भी राइट-डाउन लेने के लिए मजबूर होगी।
- एक बैंक के बजाय, एक खराब बैंक संरचना वित्तीय संगठनों के एक संघ की जोखिम भरी संपत्ति मान सकती है।
- ग्रांट स्ट्रीट नेशनल बैंक खराब बैंक का एक जाना-माना उदाहरण
 है। इस इकाई की स्थापना 1988 में मेलॉन बैंक की खराब
 संपत्तियों को रखने के लिए की गई थी।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर, आयरलैंड गणराज्य ने देश के अपने वित्तीय संकट के जवाब में 2009 में राष्ट्रीय संपत्ति प्रबंधन एजेंसी, एक बैड बैंक की स्थापना की।
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) और अन्य लागू समाधान उपकरण उपयोगी साबित हुए हैं।

भारत में बैड बैंक

- भारत सरकार ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बड़े एनपीए (गैर-निष्पादित आस्तियों) को हल करने के लिए बैंकों से दबावग्रस्त संपत्ति प्राप्त करने और फिर उन्हें बाजार में बेचने के लिए दो नई फर्मों की स्थापना की है।
- एनएआरसीएलः नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत की गई थी और इसने भारतीय रिजर्व बैंक (एआरसी) से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।
- चरणों में, एनएआरसीएल विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से लगभग
 2 लाख करोड़ रुपये की दबाव वाली संपत्ति खरीदेगा।
- एनएआरसीएल का 51 प्रतिशत स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पास होगा।
- > एनएआरसीएल पहले बैंकों से बैड लोन खरीदेगा।
- यह सहमत मूल्य का 15% नकद में और शेष 85% ''सुरक्षा रसीदों'' में भुगतान करेगा।
- वाणिज्यिक बैंकों को शेष राशि का भुगतान तब किया जाएगा जब IDRCL की सहायता से परिसंपत्तियां बेची जाएंगी।
- अगर बैड बैंक बैड लोन को बेचने में असमर्थ है या उसे घाटे में बेचना है तो सरकारी गारंटी सिक्रय हो जाएगी।
- यह गारंटी पांच साल की अविध के लिए बढ़ाई गई है।
- IDRCL: दबावग्रस्त आस्तियों को बाद में एक अन्य फर्म, इंडिया डेट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) द्वारा बाजार में बेचा जाएगा।
- IDRCL का स्वामित्व PSB और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों
 (FI) के पास अधिकतम 49 प्रतिशत होगा।
- 🕨 निजी क्षेत्र के ऋणदाता कंपनी के शेष 51 प्रतिशत के मालिक होंगे।
- नया बैड बैंक ढांचा एनएआरसीएल-आईडीआरसीएल का यह ढांचा है।

8. बैंकों का पुनर्पृजीकरण

🕨 बैंकों का पुनर्पूजीकरण राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को पूंजी

- पर्याप्तता मानकों तक लाने के लिए अतिरिक्त पूंजी का इंजेक्शन लगा रहा है।
- इसमें पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में अधिक पूंजी डालने की आवश्यकता है।
- भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 12 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखने की आवश्यकता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेसल मानदंडों के अनुरूप रेखांकित किया गया है।
- पूंजी-से-जोखिम-भारित-संपत्ति-और-वर्तमान-देयता अनुपात
 (सीएआर) एक बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम-भारित
 परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों का अनुपात है।
- सरकार विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करके नकदी की कमी वाले बैंकों में पूंजी इंजेक्ट करती है।
- चूंकि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ी हितधारक है, इसलिए पूंजी भंडार बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है।
- सरकार बांड जारी करके या नए शेयर खरीदकर बैंकों में पूंजी इंजेक्ट करती है।
- 2017 में, सरकार ने रुपये की घोषणा की थी। सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों के लिए 2.11 लाख करोड़ का पुनर्पूजीकरण पैकेज
 शीग्न सुधारात्मक कार्रवाई
- खराब वित्तीय प्रदर्शन वाले बैंकों पर नजर रखने के लिए आरबीआई पीसीए ढांचे का उपयोग करता है।
- पीसीए ढांचे को आरबीआई द्वारा 2002 में बैंकों के लिए एक संरचित प्रारंभिक-हस्तक्षेप तंत्र के रूप में पेश किया गया था जो लाभप्रदता के नुकसान के कारण कम पूंजीकृत या कमजोर हो गए हैं।
- इसका लक्ष्य भारत की बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के मुद्दे का समाधान करना है।
- भारत में वित्तीय संस्थानों के लिए समाधन व्यवस्था पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के कार्यकारी समूह और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधर आयोग की सिफारिशों के आधर पर, रूपरेखा की समीक्षा 2017 में की गई थी।
- यदि कोई बैंक संकट में है, तो पीसीए को नियामक, साथ ही निवेशकों और जमाकर्ताओं को सूचित करना चाहिए।
- लक्ष्य समस्याओं को संकट के अनुपात तक पहुँचने से रोकना है।
 अनिवार्य रूप से, पीसीए बैंकों के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी करने और बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए सुधरात्मक कार्रवाई करने में आरबीआई की सहायता करता है।

10. <u>इंद्रधनुष फेमवर्क - 2015</u> 1970 में बैंकिंग राष्ट्रीयकरण के बाद से, पीएसबी को बदलने के लिए इंद्रधनुष ढांचा एबीसीडीईएफजी द्वारा पीएसबी को फिर

से तैयार करने और उनके समग्र प्रदर्शन में सुधर करने के लिए सबसे व्यापक सुधर प्रयास रहा है।

- नियुक्तियां: कंपनी अधिनियम में दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों के आधार पर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का एक अलग पद सृजित किया जाएगा, जिसमें सीईओ को एमडी और सीईओ का पद प्राप्त होगा, और पीएसबी के एक गैर-कार्यकारी अधयक्ष की नियुक्ति की जाएगी।
- बैंक बोर्ड ब्यूरो: पीएसबी के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अधयक्ष के चयन में नियुक्ति बोर्ड की जगह लेगा।

- पूंजीकरण: वित्त मंत्रलय के अनुसार, वित्त वर्ष 2019 तक अगले चार वर्षों के लिए पूंजी की आवश्यकता लगभग 1,80,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें से सरकार 70000 करोड़ का भुगतान करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शेष राशि से जुटाना होगा। बाजार।
- डीस्ट्रेसिंगः डी-स्ट्रेसिंग में आस्ति पुनर्निर्माण फर्मो को मजबूत करके दबावग्रस्त आस्तियों को बैंकों से बाहर रखने के लिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में चिंताओं को हल करना शामिल है। पीएसबी के लिए एक संपन्न ऋण बाजार का निर्माण।
- अधिकारिता: जब कर्मचारियों को नियुक्त करने की बात आती है तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक लचीलापन और स्वायत्तता दी जानी चाहिए।
- जवाबदेही की रूपरेखाः कुछ प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर बैंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें सब कुछ शामिल होगा।
- गैर-निष्पादित परिसंपत्ति प्रबंधन, विकास, विविधीकरण, पूंजी पर लाभ, वित्तीय समावेशन, और अन्य मात्रत्मक संकेतक
- संपत्ति की गुणवत्ता में सुधर के लिए किए गए कदम, मानव संसाधन पहल, आदि गुणात्मक मानकों के उदाहरण हैं।
- गवर्नेस रिफॉर्म्स: बैंकर्स रिट्रीट या ज्ञान संगम बैंकरों और सरकारी अधिकारियों के बीच बैंकिंग क्षेत्र की चिंताओं को हल करने और भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करने के लिए बातचीत करता है।

बेसल मानदंड क्या हैं?

- बेसल समझौता बीसीबीएस द्वारा किए गए समझौतों के एक समूहैको संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिमों को संबोधित करता है।
- समझौते का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय संस्थानों के पास दायित्वों को पूरा करने और अप्रत्याशित नुकसान को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी है।
- बैंकिंग प्रणाली के लिए बेसल समझौते को भारत ने स्वीकार कर लिया है। वास्तव में, आरबीआई ने बीसीबीएस की तुलना में कुछ मापदंडों पर अधिक कड़े मानक लगाए हैं। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नियमों के लिए बेसल मानदंड जारी करती है। इन मानदंडों का लक्ष्य दुनिया भर में बैंकिंग नियमों का समन्वय करके अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना है। बीसीबीएस भारत सहित दुनिया भर के विभिन्न देशों के 27 प्रतिनिधियों से बना है। बेसल समिति ने वर्तमान में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन दिशानिर्देश जारी किए हैं: बेसल I, II और III।
- भारत में, बेसल-III को लागू करने की समय सीमा मार्च 2019
 थी। इसे मार्च 2020 तक वापस धकेल दिया गया।
- 🕨 बासेल स्विट्जरलैंड का एक शहर है।
- यह ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) का मुख्यालय है, जो वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग नियामक मानकों के एक सामान्य लक्ष्य के साथ केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- हर दो महीने में, बीआईएस सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और विरष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करता है।
 बेसल I
- बीसीबीएस ने 1988 में बेसल पूंजी समझौता नामक पूंजी मापन प्रणाली की शुरुआत की।

- 🕨 यह लगभग पूरी तरह से ऋण जोखिम से संबंधित था।
- आवश्यक न्यूनतम पूंजी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए)
 के 8% पर निर्धारित की गई थी।
- आरडब्ल्यूए का तात्पर्य अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल वाली परिसंपत्तियों से हैं। उदाहरण के लिए, संपार्शिवक द्वारा समर्थित संपत्ति बिना किसी स पार्शि्वक के व्यक्तिगत ऋण से कम जोखिम भरी होगी।
- पूंजी को दो श्रेणियों में बांटा गया है: टियर 1 कैपिटल और टियर 2 कैपिटल।
- टियर 1 पूंजी बैंक की मुख्य पूंजी है क्योंकि यह बैंक की वित्तीय मजबूती का प्राथमिक माप है।
- मुख्य पूंजी का अधिकांश हिस्सा प्रकट किए गए भंडार (जिसे प्रतिधरित आय के रूप में भी जाना जाता है) और चुकता पूंजी से बना है।
- > इसमें गैर-स चयी और गैर-प्रतिदेय पसंदीदा स्टॉक भी शामिल है।
- टियर 2 पूंजी इसका उपयोग पूरक फंडिंग के रूप में किया जाता है क्योंकि यह पहले टियर की तुलना में कम विश्वसनीय है।
- इसमें अघोषित भंडार, वरीयता शेयर और अधीनस्थ ऋण शामिल हैं।
- 1999 में, भारत ने बेसल 1 दिशानिर्देशों को अपनाया।
 बेसल II
- बीसीबीएस ने जून 2004 में बेसल II दिशानिर्देश प्रकाशित किए,
 जिन्हें बेसल I समझौते का परिष्कृत और सुधरित संस्करण माना गया।
- दिशानिर्देशों को तीन स्तंभों पर स्थापित किया गया था, जैसा कि समिति उन्हें संदर्भित करती है:
- पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएँ: बैंकों को जोखिम आस्तियों के
 8: की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता रखनी चाहिए।
- पर्यवेक्षी समीक्षाः इसके अनुसार, बैंकों को उन सभी तीन प्रकार के जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकों को विकसित और कार्यान्वित करना आवश्यक था, जिनका सामना बैंक करता है: क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम।
- बाजार अनुशासन: इसके लिए सख्त प्रकटीकरण आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। बैंकों को नियमित आधार पर अपने सीएआर, जोखिम जोखिम और अन्य जानकारी केंद्रीय बैंक को देनी चाहिए।

बेसल III

- 🕨 बासेल III दिशानिर्देश 2010 में प्रकाशित किए गए थे।
- ये दिशा-निर्देश 2008 के वित्तीय संकट के जवाब में बनाए गए थे।
- प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता थी क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बैंक कम पूंजीकृत, अधिक लीवरेज्ड थे, और अल्पकालिक वित्त पोषण पर अधिक निर्भर थे।
- दिशानिर्देशों का उद्देश्य चार महत्वपूर्ण बैंकिंग मापदंडों: पूंजी, उत्तोलन, वित्त पोषण और तरलता पर ध्यान केंद्रित करके एक अधिक लचीला बैंकिंग प्रणाली को बढावा देना है।
- 🕨 पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.9 प्रतिशत पर रखा जाना चाहिए।





KHAN GLOBAL STUDIES

KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6 Mob: 8877918018, 875735880

Economics

By: Dr. Bharat Sir

Non-Performing Assets (NPA)

❖ All the loans given by banks to their customers are c/ a Assets for them. If the customer fails to pay the loan amount to the bank then they are c/a "Non-Performing Assets".

Standard/Performing Assets

- Not classified as NPA.
- ❖ The borrower pays the laon amount regularity.

Non-Standard/Stressed Assets

 \bullet Non-Performing Assets = SMA + NPA + RA + WOA.

1. Special Mention Account

Initially when the customer desn't pay the loan amount on due date the bank started mentioning the outstanding amount in SMA.

It is of 3 types-

- (a) SMA 0 Principal or loan or interest amount 0 to 30 days
- (b) SMA 1 Principal or interest amount 31 to 60 days.
- (c) SMA 2 Principal or interest amount 61-90

2. Non-Performing Assets

If the customer doesn't pay the interest or the principle or both upto 90 days then it is considered as NPA.

3. Restructured Assets/Loan

When the outstanding loan have been restructured by the Bank i.e. by tering the time period for reppayment, lowering the interest rate, etc.

4. Written Off Assets

Assets or loan which are not counted as due as they are compansated through other ways.

Note: Written of Assets are not counted as waving of loan.

- ❖ Strategic Debt Reconstructing: When the Bank convert the debt into the equity.
- * Assets (S4A): Defaulting amount Rs. 500 cr. and more.
- ❖ Loan amount Substainable or non substainable
- ❖ In Non-Substainable amount convert into the equity.

NPA Problem of India Banks

The NPA was on a declining trend from FY 2018 due to various initiatives by the Reserve Bank of India and the central government such as the Insolvency and Bankruptcy Code Due to the effects of the corona virus (COVID-19) epidemic and lockdown, the country was expected to see an increase in **bad loans**.

Measures to curb NPAs in India

- 1. Debt Recovery Tribunals (DRTs)
- ❖ The Debt Recovery Tribunals (DRTs) were established in 1993.
- ❖ To reduce the amount of time it takes to settle matters. The requirements of the Recovery of Debt Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, apply to them. However, because their numbers are insufficient, they face a time lag, with cases in many locations pending for more than two years.

2. Credit Information Bureau (CIB)

- ❖ In the year 2000, the Credit Information Bureau (CIB) was established.
- ❖ To avoid loans getting into the wrong hands and, as a result, NPAs, a good information system is essential. Individual defaulters and wilful defaulters are tracked and shared, which aids banks.

3. Lok Adalats - 2001

❖ They are useful in dealing with and recovering small loans, but the RBI guidelines established in 2001 limit them to loans of up to 5 lakh rupees. They are beneficial in that they prevent more cases from entering the legal system.

4. Wilful Defaulter

- * Any entity is considered a wilful defaulter when:
- The unit has failed to make its payment/repayment commitments to the lender, despite having the financial means to do so.
- The unit has failed to meet its payment/repayment commitments to the lender and has not used the lender's funds for the specific objectives for which they were obtained, instead of diverting the money to other uses.
- ❖ The unit has failed to meet its payment/repayment commitments to the lender and has syphoned off the funds, such that the funds have not been used for the precise purpose for which credit was obtained, nor are the funds available in the form of other assets with the unit.
- ❖ The Banks have to submit the names of the Wilful defaulters to the Reserve Bank of India (RBI) with outstanding loans of more than 25 Lakhs.

5. What is SARFAESI Act?

- SARFAESI Act of 2002 is "... an act to regulate securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interests, and to provide for a central database of security interests created on property rights, and for matters associated with or incidental thereto,".
- SARFAESI is an acronym for Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest.
- It permits banks and other financial institutions to recover loans by auctioning off the defaulter's residential or commercial assets.
- Under this act, India's first Asset Reconstruction Corporation (ARC), ARCIL, was established.
- ❖ Secured creditors (banks or financial institutions) have rights to security interest enforcement under section 13 of the SARFAESI Act, 2002.
- The SARFAESI Act of 2002 will now apply to all state and multi-state cooperative banks, according to the Supreme Court of India. Banks can now seize and sell defaulters' properties to recoup their debts, thanks to the Supreme Court's momentous decision.

SARFAESI Act - Provisions

- ❖ If a borrower of financial assistance defaults on a loan or an instalment, and his account is categorised as a non-performing asset (NPA) by a secured creditor, the secured creditor may request written notice before the term of limitation expires.
- Unsecured loans, loans under Rs. 100,000 and debts that are less than 20% of the initial principle are exempt from the statute.
- ❖ This law permitted the formation of asset reconstruction companies (ARCs) and the sale of nonperforming assets by banks to ARCs (which are regulated by the RBI).
- ❖ Without the consent of a court, banks are authorised to take **ownership of collateral property and sell it.**
- ❖ To conclude, the SARFAESI Act gives financial institutions the authority to "seize and desist." They should send a notification to the delinquent borrower, requesting payment within 60 days.
- ❖ If the debtor does not cooperate, the bank may take one of the following three actions:
 - (1) Take control of the loan security.
 - (2) Sell, lease, or assign the security's right.
 - (3) Take care of the asset or appoint someone to do so.

SARFAESI Act - Amendments

The Central Government passed a law in 2013 bringing cooperative banks under the SARFAESI Act of 2002.

- The Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016, altered the statute once again.
- ❖ The Supreme Court also held that co-operative banks that engage in banking activities are subject to Sections 5 (c) and 56 (a) of the Banking Regulation Act of 1949, which are laws related to List I Entry 45. (Union List).

6. What is the Insolvency and Bankruptcy Code?

- The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) is India's bankruptcy law, which aims to unify the existing framework by establishing a single insolvency and bankruptcy law.
- ❖ Insolvency is a condition in which a debtor is unable to pay his/her debts.
- ❖ Bankruptcy is a legal process that involves an insolvent person or company that is unable to pay its debts.
- It establishes clearer and faster insolvency procedures to assist creditors, such as banks, in recovering debts and avoiding bad loans, which are a major drag on the economy.
- ❖ It is an all-encompassing insolvency code that applies to all businesses, partnerships, and individuals (other than financial firms).

Insolvency and Bankruptcy Code 2016

- The code repealed all previous legislation and established a standardised framework for resolving insolvency and bankruptcy cases.
- It enables creditors to analyse a debtor's viability as a business decision. Furthermore, creditors might either agree to the plan for its resurrection or propose a quick liquidation.
- ❖ The Code establishes a new legal structure. This framework aided in the formalisation and liquidation of an insolvency resolution process that was time-bound. The framework consists of the following elements:
- Insolvency Professionals: They will be in charge of the resolution procedure. They also handle the debtor's assets and provide information to creditors to help them make decisions.
- ❖ Insolvency Professional Agencies: Insolvency practitioners will be registered with professional agencies for insolvency. Exams would be conducted to certify insolvency specialists, and a code of behaviour for their performance would be enforced by the agencies.
- ❖ Information utilities: They will maintain track of debts owed to creditors, as well as repayments and debt defaults.

- ❖ Adjudicating authorities: They will sanction the start of the resolution procedure, appoint the insolvency professional, and sign off on the creditors' ultimate judgement.
- The National Company Law Tribunal (NCLT) is the deciding authority for corporations and limited liability firms.
- ❖ Individuals and partnership firms have their debts adjudicated by the **Debt Recovery Tribunal (DRT).**
- ❖ The Insolvency and Bankruptcy Board will oversee insolvency experts, professional agencies, and information utilities established under the Code.
- The goal of the code is to address insolvencies in a timely way; the evaluation and viability determination must be done within 180 days.
- ❖ The Company is subject to a 180-day moratorium (which can be extended up to 270 days). The resolution time frame for startups and small businesses is 90 days, which can be extended by 45 days.
- 7. What is a Bad Bank?
- ❖ A bad bank is a financial institution that was formed to purchase the bad loans and other illiquid assets of another financial institution.
- ❖ The organization with a large number of nonperforming assets will sell them to the bad bank at market value.
- ❖ The original institution may be able to clear its balance sheet by transferring such assets to the bad bank, albeit it will still be compelled to take write-downs.
- Instead of a single bank, a bad bank structure may assume the risky assets of a consortium of financial organizations.
- ❖ Grant Street National Bank is a well-known example of a bad bank. This entity was founded in 1988 to house Mellon Bank's bad assets.
- Outside of the United States, the Republic of Ireland established the National Asset Management Agency, a bad bank, in 2009 in response to the country's own financial crisis.
- ❖ The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) and other applicable resolution tools have been shown to be useful.

Bad Bank in India

- ❖ The government of India has established two new firms to acquire stressed assets from banks and then sell them in the market in order to resolve large NPAs (Non-Performing Assets) in the Indian banking sector.
- ❖ NARCL: National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) was established under the Companies Act and has applied for an Asset Reconstruction Company license from the Reserve Bank of India (ARC).

- In phases, NARCL will buy stressed assets totaling roughly Rs 2 lakh crore from various commercial banks.
- ❖ NARCL will be owned by **public sector banks (PSBs)** to the tune of 51 percent.
- ❖ The NARCL will buy bad loans from banks first.
- ❖ It will pay 15% of the agreed price in cash and the rest 85% in "Security Receipts."
- ❖ The commercial banks will be paid back the remainder when the assets are sold with the help of IDRCL.
- ❖ The government guarantee will be activated if the bad bank is unable to sell the bad loan or must sell it at a loss.
- This guarantee is extended for a five-year period.
- ❖ IDRCL: The stressed assets will subsequently be sold in the market by another firm, India Debt Resolution Company Ltd (IDRCL).
- ❖ IDRCL will be owned to a maximum of 49 percent by PSBs and Public Financial Institutes (FIs).
- ❖ Private-sector lenders will own the remaining 51 percent of the company.
- ❖ The new bad bank structure is this framework of NARCL-IDRCL.
- 8. Recapitalisation of Banks
- Recapitalisation of Banks is injecting additional capital into state-owned banks to bring them up to capital adequacy standards.
- ❖ It entails injecting more capital into state-owned banks in order for them to achieve capital adequacy requirements.
- The requirement for Indian public sector banks to maintain a Capital Adequacy Ratio (CAR) of 12 per cent has been underlined by the Reserve Bank of India in line with BASEL norms.
- The capital-to-risk-weighted-assets-and-current-liabilities ratio (CAR) is the ratio of a bank's capital to its risk-weighted assets and current liabilities.
- ❖ The government injects capital into banks that are short on cash using a variety of instruments.
- * Because the government is the largest stakeholder in public sector banks, it is the government's responsibility to increase capital reserves.
- The government injects capital into banks by issuing bonds or buying new shares.
- ❖ In 2017, the government had announced an Rs. 2.11 Lakh crore recapitalisation package for the Public sector Banks
- 9. Prompt Corrective Action
- ❖ The RBI uses the PCA framework to keep track of banks with poor financial performance.

- The PCA framework was introduced by the RBI in 2002 as a structured early intervention mechanism for banks that have become undercapitalized or fragile due to a loss of profitability.
- ❖ Its goal is to address the issue of non-performing assets (NPAs) in India's banking system.
- ❖ Based on the recommendations of the Financial Stability and Development Council's working group on Resolution Regimes for Financial Institutions in India and the Financial Sector Legislative Reforms Commission, the framework was reviewed in 2017.
- ❖ If a bank is in crisis, PCA is supposed to inform the regulator, as well as investors and depositors.
- The goal is to prevent problems from reaching crisis proportions.
- Sessentially, PCA assists RBI in monitoring banks' key performance indicators and taking corrective action to restore a bank's financial health.

10. Indradhanush Framework - 2015

- Since banking nationalization in 1970, the Indradhanush framework for changing PSBs has been the most comprehensive reform effort undertaken by ABCDEFG to remodel the PSBs and improve their overall performance.
- ❖ Appointments: Based on worldwide best practices and guidelines in the Companies Act, a distinct post of Chairman and Managing Director will be created, with the CEO receiving the designation of MD & CEO, and a non-executive Chairman of PSBs would be appointed.
- ❖ Bank Board Bureau: will replace the Appointments Board in the selection of Wholetime Directors and non-Executive Chairman of PSBs.
- ❖ Capitalization: According to the finance ministry, the capital requirement for the next four years up to FY 2019 is estimated to be around Rs.1,80,000 crore, of which the government will pay 70000 crores and PSBs will have to raise the remainder from the market.
- ❖ Destressing: De-stressing entails resolving concerns in the infrastructure sector in order to keep stressed assets out of banks by bolstering asset reconstruction firms. The creation of a thriving debt market for PSBs.
- **Empowerment:** PSBs should be given more flexibility and autonomy when it comes to employing staff.
- ❖ A framework of Accountability: The banks will be evaluated based on a few key performance indicators. It would include everything.
- Non-performing asset management, growth, diversification, return on capital, financial inclusion, and other quantitative indicators

- Steps done to improve asset quality, human resource initiatives, and so on are examples of qualitative parameters.
- ❖ Governance Reforms: Banker's Retreats or Gyan Sangam talks between bankers and government officials to resolve banking sector concerns and determine the future course of action.

What are Basel Norms?

- ❖ The Basel accord refers to a set of agreements by the BCBS that primarily address risks to banks and the financial system.
- The agreement's goal is to ensure that financial institutions have sufficient capital on hand to meet obligations and absorb unexpected losses.
- ❖ The Basel accords for the banking system have been accepted by India. In fact, the RBI has imposed more stringent standards on a few parameters than the BCBS has.

The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) issues Basel

Norms for international banking regulations. The goal of these norms is to strengthen the international banking system by coordinating banking regulations around the world. BCBS ismade up of 27 representatives from various countries around the world, including India. The Basel Committee has currently issued three guidelines to achieve its goal: Basel I, II, and III.

- ❖ In India, the deadline for implementing Basel-III was March 2019. It was pushed back to March 2020.
- * Basel is a city in Switzerland.
- ❖ It is the headquarters of the Bureau of International Settlements (BIS), which promotes cooperation among central banks with a common goal of financial stability and banking regulatory standards.
- Every two months, the BIS hosts a meeting of the governors and senior officials of member countries' central banks.

BASELI

- **❖** BCBS introduced the capital measurement system called Basel capital accord in 1988.
- * It was almost entirely concerned with **credit risk**.
- ❖ The required minimum capital was set at 8% of risk-weighted assets (RWA).
- * RWA refers to assets with varying risk profiles. For example, an asset backed by collateral would be less risky than a personal loan with no collateral.
- ❖ Capital is divided into two categories: Tier 1 capital and Tier 2 capital.
 - > Tier 1 capital is the bank's core capital because it is the primary measure of the bank's financial strength.

- The majority of core capital is made up of disclosed reserves (also known as retained earnings) and paid-up capital.
- It also includes non-cumulative and non-redeemable preferred stock.
- ❖ Tier 2 capital It is used as supplemental funding since it is less reliable than the first tier.
 - It consists of undisclosed reserves, preference shares, and subordinate debt.
 - In 1999, India adopted the Basel 1 guidelines. BASEL II
- ❖ BCBS published **Basel II guidelines** in **June 2004**, which were considered to be refined and reformed versions of the Basel I accord.
- The guidelines were founded on **three pillars**, as the committee refers to them:
 - Capital Adequacy Requirements: Banks should keep a minimum capital adequacy requirement of 8% of risk assets.
 - Supervisory Review: According to this, banks were required to develop and implement better risk

- management techniques for monitoring and managing all three types of risks that a bank faces: credit, market, and operational risks.
- Market Discipline: This necessitates stricter disclosure requirements. Banks must report their CAR, risk exposure, and other information to the central bank on a regular basis.

BASEL III

- ❖ The **Basel III** guidelines were published in **2010**.
- ❖ These guidelines were put in place in response to the 2008 financial crisis.
- There was a need to further strengthen the system because banks in developed economies were undercapitalized, over-leveraged, and relied more on short-term funding.
- * The guidelines are intended to promote a more resilient banking system by focusing on four critical banking parameters: capital, leverage, funding, and liquidity.
- ❖ The capital adequacy ratio should be kept at 12.9 percent.

